न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 170/2024

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति कुम्हार, निवासी चक 4–एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. ज्ञानप्रकाश पुत्र श्री कृष्ण लाल, जाति कुम्हार, निवासी चक 4 एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. संजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल, जाति कुम्हार, निवासी चक 4 एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति कुम्हार, निवासी चक 4 एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– –अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1.	श्री राजवीर सिंह अधिवक्ता	– – प्राथी
2.	श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता	– – अप्रार्थी संख्या 1 ता 3
3.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी संख्या 4

–:: आदेश ::–

दिनांक :–28.04.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का रकबा चक 4– एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 274/13 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 16/1, 17/2, 18/1 व 19/2 में कुल 0.556 हैक्टेयर दर्ज कागजात राज है। खाता संख्या 274/13 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से चक 4– एम. एल. के खाता संख्या 275/13, मुरब्बा नम्बरा 7 के किला नम्बर 12/1, 13/2, 14/1 व 15/2 की कुल 0.884 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात राज है। खाता संख्या 275/13 की जमाबदी की प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से चक 4 – एम. एल. के खाता संख्या 13/8, मुरब्बा नम्बरा 7 के किला नम्बर 12/2, 13/1, 14/2, 15/1, 16/2, 17/1, 18/2 व 19/1 की कुल 0.584 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात राज है। खाता संख्या 13/8 की जमाबन्दी की प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी अपने रकबा स्थित चक 4 एम. एल. के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 19/2, 18/1, 17/2 व 16/1 में कालान्तर से चक 7 ई छोटी, केदार कॉलोनी, श्रीगंगानगर से आ रहे रास्ता, जो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 2 व 9 पश्चिमी साईड 16 फुट चौड़ाई में व 330 फुट लम्बाई में उत्तर से दक्षिण दिशा में चल कर व उसके उपरान्त किला नम्बर 12 में 20 फुट चौड़ाई में व 81 फुट लम्बाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में चल कर दक्षिण दिशा में टर्न होकर आगे किला नम्बर 12 व 19 में उत्तर से दक्षिण 16 फुट चौड़ाई में व 219.25 फुट लम्बाई में चल कर अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 19/2 में पहुंचता है। उक्त रास्ता कालान्तर से चला आ रहा है। प्रार्थी अपने रकबा में आवागमन हेतु इसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी अपने रकबा में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण उत्तरी सविउ, के रकबा किला नम्बर 12 में 20 फुट चौड़ाई में व 81 फुट लम्बाई में पश्चिम से पूर्व व उसके उपरान्त दक्षिण दिशा में टर्न होकर उत्तर से दक्षिण दिशा में किला नम्बर 12 व 19 में 16 फुट चौड़ाई में व 219.25 फुट लम्बाई में स्वीकृत करवाना चाहता है । इस हेतु प्रार्थी ने रास्ता की एवज में भूमि अप्रार्थीगण को पूर्व में ही दी हुई है। इस प्रकार प्रार्थी के रकबा स्थित चक 4– एम. एल. के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 19/2, 18/1, 17/2 व 16/1 के लिए कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी को अपने रकबा में पहुंचने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के रकबा में से चाहे गये रास्ता की जायज जरूरत है। मौका पर रास्ता स्वीकृत न होने के कारण प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन हेतु आये दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए उक्त रास्ता स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है एवं उक्त रास्ता ही प्रार्थी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी को अपने रकबा में आने–जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। इस कारण उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी के रकबा के लिए कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध न होने के कारण प्रार्थी द्वारा मांग किये गये उक्त रास्ते की मांग सुविधा के लिए न होकर एक आवश्यकता है, क्योंकि स्वीकृत रास्ता के अभाव में प्रार्थी को अपनी भूमि काश्त करने में बाधाएं पैदा हो रही हैं। कानूनन भी हर काश्तकार के रकबा के लिए रास्ता उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। इसी कारण तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को अप्रार्थी संख्या 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया है ताकि रास्ता स्वीकृत होने पर कागजात राज में अमल दरामद हो सके तथा यह भी स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी के रकबा स्थित चक 4 एम. एल. के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 19/2, 18/1, 17/2 व 16/1 में आने–जाने के लिए कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नहीं है। पक्षकारान की कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के रकबा चक 4 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 19/2, 18/1, 17/2 व 16/1 में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के रकबा किला नम्बर 12 उत्तरीसाइड, में 20 फुट चौड़ाई में व 81 फुट लम्बाई में पश्चिम से पूर्व व उसके उपरान्त दक्षिण दिशा में टर्न होकर उत्तर से दक्षिण दिशा में किला नम्बर 12 व 19 में 16 फुट चौड़ाई में व 219.25 फुट लम्बाई में रास्ता स्वीकृत करने व कागजात राज में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिमसें अंकित तथ्यानुसार यह कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष मन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वे पूर्ण रूप से सहमत हैं। मन अप्रार्थीगण चाहे गए रास्ते के सम्बन्ध में कोई भी मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करना चाहते। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में पारिवारिक बंटवारा में मन अप्रार्थीगण की भरपाई में ही हो चुकी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, स्वीकार फरमाया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थी की भूमि के लिए रास्ता स्वीकार किया जावे तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति है। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवम् प्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है। अतः प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के रकबा चक 4 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 19/2, 18/1, 17/2 व 16/1 में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के रकबा किला नम्बर 12 उत्तरी साइड में 20 फुट चौड़ाई में व 81 फुट लम्बाई में पश्चिम से पूर्व व उसके उपरान्त दक्षिण दिशा में टर्न होकर उत्तर से दक्षिण दिशा में किला नम्बर 12 व 19 में 16 फुट चौड़ाई में व 219.25 फुट लम्बाई में गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति होने से किसी प्रकार के मुआवजा की मांग नहीं की गई है अतः स्वीकृत किये गये रास्ता का मुआजा देय नहीं है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराम करे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक **28.04.2025** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)